Amendments

Amendments

- Article 368 in Part XX of the Constitution deals with powers of Parliament to amend the Constitution and its Procedure.
- The Parliament cannot amend those provisions which form the "basic features" of the Constitution. This was ruled by the Supreme Court in the Kesavananda Bharti case in 1973.

संविधान संशोधन

- संविधान देश की मूलभूत विधि होता है, यह राज्य के शासनतंत्र को उपबंधित करता है और सामजिक अस्तित्व के लिए एक ठोस ढाँचा प्रस्तुत करता है. किसी देश के संविधान का अपरिवर्तनशील होना उसके विकास को कुंठित करता है. प्रगतिशील समाज की आर्थिक, सामजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए संविधान में समय-समय परिस्थिति के अनुकूल संशोधन की आवश्यकता पड़ती है. भारतीय संविधान में संशोधन-सम्बन्धी प्रावधान **भाग 20 (XX) 368वें अनुच्छेद** में किया गया है.

Amendments

Procedure for amendment:

- An Amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament and not in the state legislatures.
- The bill can be introduced either by a minister or a private member and does not require prior permission of the president.
- The bill must be passed in each House by a special majority.
- Each House must pass the separately.

Amendments

Procedure for amendment:

- If the bill seeks to amend the federal provisions of the Constitution, it must be ratified by the legislatures of half of the states by a simples.
- After duly passed by both the Houses of Parliament and ratified by the the state legislatures, bill must be presented to the president for assent.
- The President must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament.

Types of Amendments

3 types of amendment:

1: Amendment by simple majority of the Parliament,

2: Amendment by special majority of the parliament, and

3: Amendment by special majority of the Parliament and the ratification of half of the State legislatures.

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

- भारतीय संविधान में डॉ. अम्बेडकर के विचारानुसार, संशोधन की तीन विधायी प्रक्रियाएँ हैं –
- संसद के साधारण बहुमत (simple majority) से
- संसद के दो-तिहाई बहुमत से
- राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से

संसद के साधारण बहुमत से (SIMPLE MAJORITY)

- जब सदन में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक किसी विषय के पक्ष में मतदान होता है तो उसे “साधारण बहुमत” कहा जाता है.

संसद के दो-तिहाई बहुमत से (SPECIAL MAJORITY)

- संविधान में संशोधन की दूसरी प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया की अपेक्षा कुछ कठिन है. इस प्रक्रिया के अनुसार, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन हेतु विधेयक संसद में पुनः स्थापित हो सकते हैं. यदि ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो जाता है. संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन इसी प्रक्रिया के अनुसार होता है.

राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से

- संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए जो संघात्मक संगठन से संबंद्ध हैं. यह प्रक्रिया अमेरिकी संविधान के संशोधन के जैसा ही है और उपर्युक्त दो प्रक्रियाओं से अधिक मुश्किल और जटिल है. इस प्रक्रिया के अनुसार, यदि संविधान में संशोधन विधेयक संसद के सभी सदस्यों के बहुमत या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, तो कम-से-कम 50% राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पुष्टिकरण का प्रस्ताव पारित होने पर ही वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जायेगा

List of Important Amendments

➢ 1st Amendment (1951)-

1. Empowered the state to make special provisions for the advancement of socially and economically backward classes.
2. Provided for the saving of laws providing for acquisition of estates, etc.
3. Added Ninth Schedule to protect the land reforms and other laws included in it from the judicial review. After Article 31, Articles 31A and 31B were inserted.

प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951:

- **संशोधनः**
  - इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिये विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गई।
  - कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
  - भमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नौंवी अनुसूची में स्थान दिया गया।

Seventh Amendment Act, 1956

- **Amendments:**
  Second and Seventh Schedules were amended
- Abolished the existing classification of states into four categories i.e., Part A, Part B, Part C, and Part D states, and reorganised them into 14 states and 6 union territories.
- Extended the jurisdiction of high courts to union territories.
- Provided for the establishment of a common high court for two or more states.
- Provided for the appointment of additional and acting judges of the high court.

7वाँ संशोधन 1956:

- **संशोधनः**
- द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
- राज्यों के चार वर्गों की समाप्ति (भाग-क, भाग-ख, भाग-ग और भाग-घ) की गई और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई।
- उच्च न्यायालयों के न्यायक्षेत्र का विस्तार संघशासित प्रदेशों तक किया गया।
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक कॉमन (उभय) उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था (प्रावधान) की गई।
- उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

Tenth Amendment Act, 1961

- **Amendments:**
  - Incorporation of Dadra, Nagar and Haveli as a Union Territory, consequent to acquisition from Portugal.

10वाँ संशोधन अधिनियम, 1961:

- दादरा और नागर-हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।

Twelfth Amendment Act, 1962

- **Amendments:**
  - Incorporated Goa, Daman and Diu in the Indian Union.

12वाँ संशोधन अधिनियमः

- **संशोधन**
  - गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया।

Twenty First Amendment Act, 1967

- **Amendments:**
  - Included Sindhi as the 15th language in the Eighth Schedule.

21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967:

- **संविधान**
  - सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।

Twenty Fourth Amendment Act, 1971

- **Reasons:**
  - Twenty Fourth Constitutional Amendment Act was brought in response to the Golaknath ruling (1967) of the Supreme Court which held that the Parliament does not have the power to take away any fundamental rights through amendment to the Constitution.
- **Amendments:**
  - Affirmed the power of Parliament to amend any part of the Constitution including fundamental rights by amending Article 13 and 368.
  - Made it compulsory for the President to give his assent to a Constitutional Amendment Bill.

24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:

- **संशोधन**
  - संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
  - संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी (अपनी स्वीकृति) देने के लिये बाध्य कर दिया गया।

Thirty First Amendment Act, 1973

- **Reasons:**
  - An increase in the population of India revealed in the Census of 1971.
- **Amendments:**
  - Increased the number of Lok Sabha seats from 525 to 545.

31वाँ संशोधन अधिनियम, 1972:

- **कारण**
  - वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई।
- **संशोधन**
  - लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया।

Thirty Sixth Amendment Act, 1975

- **Amendments:**
  - Made Sikkim a full-fledged State of the Indian Union

36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:

- **संशोधन**
  - सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर दसवीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया।

Thirty-Eighth Amendment Act, 1975

- **Amendments:**
  - Made the declaration of emergency by the President non-justiciable.
  - Made the promulgation of ordinances by the President, governors and administrators of Union territories non-justiciable.
  - Empowered the President to declare different proclamations of national emergency on different grounds simultaneously

38वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:

- **संशोधन**
  - राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषाणा को गैर-वादयोग्य बना दिया गया।
  - राष्ट्रपति,राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर-वाद योग्य घोषित किया गया।
  - राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उदघोषणा करने की शक्तियाँ दी गई।

Thirty-Ninth Amendment Act, 1975

- **Reasons:**
  - It was enacted in response to the ruling of the Allahabad High Court who declared the election of PM Indira Gandhi to Lok Sabha void on the petition of Raj Narain.
- **Amendments:**
  - Placed the disputes relating to the president, Vice President, prime minister and Speaker beyond the scope of the judiciary. They are to be decided by such authority as may be determined by the Parliament.
  - Included certain Central Acts in the Ninth Schedule

39वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:

- **कारण**
  - यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायणा की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था।
- **संशोधन**
  - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया।
  - यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किये गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

Forty Second Amendment Act, 1976

- **Amendments:**
  - **Added three new words (i.e., socialist, secular and integrity) in the Preamble.**
  - **Added Fundamental Duties by the citizens (new Part IV A).**
  - Made the president bound by the advice of the cabinet.

- Raised the tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies from 5 to 6 years.
- Made the constitutional amendments beyond judicial scrutiny.
- Added three new Directive Principles viz., equal justice and free legal aid, the participation of workers in the management of industries and protection of the environment, forests, and wildlife.
- Extended the one-time duration of the President's rule in a state from 6 months to one year.
- Did away with the requirement of quorum in the Parliament and the state legislatures.

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:

- **संशोधन**
  - यह सबसे महत्त्वपूर्ण संशोधन है इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया।
  - संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता तीन नए शब्दों को जोड़ा गया।
  - एक नये भाग-iv (क) में नागरिकों के लिये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
  - कैबिनेट की सलाह मानने के लिये राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया।

- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई।
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक-बार में 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष तक कर दिया गया।
- किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिये केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार/शक्तियाँ दी गई।
- पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया। ये हैं- शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन।
- संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई।

Forty-Fourth Amendment Act, 1978

- Amendments:
- Restored the original term of the Lok Sabha and the state legislative assemblies (i.e., 5 years).
- Restored the provisions with regard to the quorum in the Parliament and state legislatures.
- Replaced the term ‘internal disturbance’ by ‘armed rebellion’ in respect of national emergency.
- Made the President to declare a national emergency only on the written recommendation of the cabinet.

- Deleted the right to property from the list of Fundamental Rights and made it only a legal right.
- Provided that the fundamental rights guaranteed by Articles 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency.

44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978:

- **संशोधन**
- लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनःस्थापित कर दिया गया (अर्थात् पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।)
- संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया।
- कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटाने/ वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गईं। परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिये बाध्य कर दिया गया।
- राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को रखा गया।

- मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया।
- अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किये जा सकने की व्यवस्था की गई।
- उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी।

Fifty-Second Amendment Act, 1985

- **Reasons:**
  - To stop defection and the politics of 'Aaya Ram, Gaya Ram'
- **Amendments:**
  - Provided for disqualification of members of Parliament and state legislatures on the ground of defection and **added a new Tenth Schedule** containing the details in this regard.

52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985:

- **कारण:**
  - 'दल-बदल' तथा आया राम और गया राम' राजनीति को रोकने के लिये।
- **संशोधन**
  - संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिये एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई।

Sixty-First Amendment Act, 1989

- **Amendments:**
  - Reduced the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections.

61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989:

- **संशोधन**
  - लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

Sixty-Ninth Amendment Act, 1991

- **Amendments:**
  - Accorded a special status to the Union Territory of Delhi by designing it as the National Capital Territory of Delhi. The amendment also provided for the creation of a 70-member legislative assembly and a 7-member council of ministers for Delhi.

69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991:

- **संशोधन**
  - केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' बनाया गया।
  - दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई।

Seventy-First Amendment Act, 1992

- **Amendments:**
  - Included Konkani, Manipuri and Nepali languages in the Eighth Schedule. With this, the total number of scheduled languages increased to 18.

71वाँ संशोधन अधिनियम, 1992:

- **संशोधन**
  - कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई।

Seventy Third Amendment Act, 1992

- **Amendment:**
  - Granted constitutional status and protection to the **Panchayati Raj institutions.** For this purpose, the Amendment has **added a new Part-IX** entitled as ‘the panchayats’ and a new **Eleventh Schedule** containing 29 functional items of the panchayats

73वाँ संशोधन अधिनियम 1992:

- **संशोधन-**
  - पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया।
  - इसके लिये 'पंचायत' नाम से नया भाग-IX जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे।

74वाँ संशोधन अधिनियम 1992:

- **संशोधन-**
  - शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग-IX (क) के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। इसे नगरपालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची-12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके तहत 18 विषय रखे गए।

Seventy Fourth Amendment Act, 1992

- **Amendment:**
  - Granted constitutional status and protection to the **urban local bodies.** For this purpose, the Amendment has **added a new Part IX-A** entitled as **‘the municipalities’** and a new **Twelfth Schedule** containing 18 functional items of the municipalities.

86वाँ संशोधन अधिनियम 2002:

- **संशोधन-**
  - अनुच्छेद 21(A) के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तथा नीति-निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया।
  - अनुच्छेद 21(A) में एक नया मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया।

Eighty Sixth Amendment Act, 2002

- **Amendments:**
  - **Made elementary education a fundamental right under the Article 21A**
  - **Changed the subject matter of Article 45 in Directive Principles**
  - **Added a new fundamental duty under Article 51-A**

89वाँ संशोधन अधिनियम 2003:

- **संशोधन-**
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया-
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 388)
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग [अनुच्छेद 388 (A)]

Eighty Ninth Amendment Act, 2003

- **Amendments:**
  - Bifurcated the erstwhile combined National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two separate bodies, namely, National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and National Commission for Scheduled Tribes (Article 338-A).

91वाँ संशोधन अधिनियम 2003:

- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिये भी अयोग्य या निरर्हक होगा।
- किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी।

Ninety First Amendment Act, 2003

- The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Central Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.
- A member of either house of Parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister.
- The total number of ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a state shall not exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly of that state. But, the number of ministers, including the Chief Minister, in a state shall not be less than 12.

92वाँ संशोधन अधिनियम 2003:

- **संशोधन-**
- आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाएँ जोड़ी गई। वे है- बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली। इनके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई।

Ninety Second Amendment Act, 2003

- **Amendments:**
  - Included four more languages in the Eighth Schedule. They are **Bodo, Dogri (Dongri), Maithili and Santhali.** With this, the total number of constitutionally recognised languages increased to 22

99वाँ संशोधन अधिनियम 2014:

- **संशोधन-**
  - उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय “राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग” (National Judicial Appointment Commission-NJAC) की स्थापना की गई।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया।

Ninety Ninth Amendment Act 2014

- **Amendments:**
  - Replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Courts with a new body called the National Judicial Appointments Commission (NJAC).
  - However, in 2015, the Supreme Court declared this Amendment Act as unconstitutional and void. Consequently, the earlier collegium system became operative again

101वाँ संशोधन अधिनियम 2017:

- **संशोधन-**
  - वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत की गई।
  - यह (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है।

One Hundred and First Amendment Act, 2017

- **Amendments:**
  - **Introduction of the Goods and Services Tax**
  - Goods and Services Tax (GST) is an indirect tax (or consumption tax) used in India on the supply of goods and services.

102वाँ संशोधन अधिनियम 2018:

- **संशोधन-**
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
  - संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338(A) के साथ 388(B) को भी शामिल किया गया जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है।

One Hundred and Second Amendment Act, 2018

- **Amendments:**
  - **Constitutional status was provided to the National Commission for Backward Classes under India's Ministry of Social Justice and Empowerment.**
  - Article 338B into the Constitution after Articles 338 and 338A which deal with the National Commission for Scheduled Castes (SC) and National Commission for Scheduled Tribes (ST) respectively.

One Hundred Third Amendment Act, 2019

- **Amendments:**
  - It introduced **reservations for Economic Weaker Section** for the first time in independent India
  - Amendment in Article 16 allows a 10% reservation to EWS in public employment.

103वाँ संशोधन अधिनियम 2019:

- **संशोधन**
  - स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई।
  - अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।

104th Amendment Act, 2020

- Extended the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and states assemblies from Seventy years to Eighty. Removed the reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies.

संविधान संशोधन 104 (126 वां संशोधन विधेयक)

- इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है।
- इस विधेयक के तहत लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है।
- इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी, 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी, 2020 तक थी।
- इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
- आरक्षण के तहत एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोक सभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे।

Thank you